भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1534

11 फरवरी, 2020 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का कार्यान्वयन

1534. श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राशन कार्डधारकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देशभर में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ओ.एन.ओ.आर.सी.) योजना को लागू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें इसे लागू नहीं किया गया है, और इस योजना को संपूर्ण देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ओ.एन.ओ.आर.सी. के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) से संवेदनशील और सीमांत समूह बाहर न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस राशन कार्ड के माध्यम से किसानों को राजसहायता दर पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): फिलहाल देश में राशन कार्डों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

.....2/-

(ख) से (घ): 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन(आईएम-पीडीएस)' संबंधी स्कीम के अधीन यह विभाग 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी क्रियान्वित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किया गया कोई भी पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी उचित दर दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के बाद मौजूदा/उसी राशन कार्ड का उपयोग करके देश में अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकेगा। अब तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अधीन राष्ट्रीय/अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की सुविधा 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में उपलब्ध है। इसके अलावा, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एकीकरण इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों/लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की होती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ समाज के सभी कमजोर और आर्थिक रूप से गरीब वर्गों तक पहुंचे, विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का परामर्श दिया है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन उनकी पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर आबादी के ऐसे वर्गों तक पहुंचने के लिए सक्रिय अप्रोच अपनाएं।

(ङ.): फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्डों के अधीन लाभार्थी उचित दर दुकानों से केवल खाद्यान्नों अर्थात चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उठान कर सकते हैं।

******

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 11.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1534 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण की स्कीम की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन कुल राशन कार्ड
1.	अंडमान और निकोबार	16,342
2.	आंध्र प्रदेश	90,27,634
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,77,607
4.	असम	57,87,006
5.	बिहार	1,67,23,631
6.	चंडीगढ़ (DBT)	67,527
7.	छत्तीसगढ़	52,82,969
8.	दादरा और नगर हवेली	45,736
9.	दमन और दीव	19,993
10.	दिल्ली	17,48,526
11.	गोवा	1,42,147
12.	गुजरात	65,81,540
13.	हरियाणा	26,97,110
14.	हिमाचल प्रदेश	6,78,675
15.	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	16,75,443
16.	झारखंड	57,19,194
17.	कर्नाटक	1,26,78,228
18.	केरल	37,29,759
19.	लक्षद्वीप	5,153
20.	मध्य प्रदेश	1,17,47,674
21.	महाराष्ट्र	1,50,67,403
22.	मणिपुर	5,88,837
23.	मेघालय	4,21,502
24.	मिजोरम	1,55,643
25.	नागालैंड	2,82,209
26.	ओडिशा	93,20,884
27.	पुदुचेरी (डीबीटी)	1,77,977
28.	पंजाब	35,18,327
29.	राजस्थान	1,11,06,203
30.	सिक्किम	94,704
31.	तमिलनाडु	1,01,41,800
32.	तेलंगाना	53,24,508
33.	त्रिपुरा	5,78,828
34.	उत्तर प्रदेश	3,53,22,427
35.	उत्तराखंड	13,36,938
36.	पश्चिम बंगाल	5,63,49,434
	सारांश	23,43,39,518

****